न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
308/2024 (पुराना नं0 104/2014)

तारीख फैसला
14.11.2025

1. बदरी पुत्र नानगा
2. छोटू पुत्र नानगा
जातियान मीणा निवासी सानकोटडा तहसील जमवारामगढ, जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र हरिनारायण
2. रामप्रताप पुत्र हरिनारायण
3. जगदीश पुत्र हरिनारायण
4. कल्याण पुत्र हरिनारायण
5. ज्याना पुत्री हरिनारायण
6. काली पुत्री हरिनारायण
7. बिरदा पुत्र काना
8. काल्या पुत्र जन्सी
9. धन्नी पत्नी कानाराम
जाति मीणा निवासी ढण्ड तहसील आमेर जिला जयपुर।
10. सुनिता पत्नी लालाराम
11. कैलाश पुत्र प्रभू
12. रामजीलाल पुत्र स्व0 लक्ष्मण पि0 चन्दा
13. कालूराम पुत्र स्व0 लक्ष्मण पि0 चन्दा
14. दुर्गालाल पुत्र स्व0 लक्ष्मण पि0 चन्दा
15. परसराम पुत्र स्व0 रामबक्स पि0 चन्दा
16. भोलाराम पुत्र स्व0 रामबक्स पि0 चन्दा
17. पांचू पुत्र स्व0 रामबक्स पि0 चन्दा
जाति मीणा नि0 सानकोटडा तहसील जमवारामगढ, जयपुर।
18. राज सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जयपुर।

प्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री महेश शर्मा :– वकील प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम
बाबत नक्शा तरमीम दुरूस्तीकरण

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 रा0 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सानकोटडा, तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी जिला जयपुर मे कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 85/464 रकबा 10 बीघा भूमि हाल नवीन खसरा नम्बर 132 645 रकबा 2.53है0 प्रार्थीगण की खातेदारी अनुसार स्थित है तथा साबिक खसरा नम्बर 84/457 रकबा 28 बीघा 1 बिस्वा हाल नवीन खसरा नम्बर 129/683 रकबा

6.8400है0 अनुसार अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 18 की मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदारी अनुसार स्थित है। जिनके राजस्व नक्शे में हाल सेटलमेंट कार्यवाही में साबिक राजस्व नक्शे व कब्जे काश्त व हक अधिकार के विरूद्व त्रुटिपूर्ण नक्शा तरमीम होने से आगे विवादित आराजीयात है। दौराने सेटलमेंट कार्यवाही में सेटलमेंट अधिकारीयों द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी के तरमीमशुदा साबिक नक्शेनुसार भूमि विवादित खसरा नम्बर 132/645 रकबा 2.53है0 के नवीन राजस्व नक्शों की त्रुटिपूर्ण तरमीम अन्यत्र जगह करते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त के साबिक राजस्व नक्शे को अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 129/683 के राजस्व नक्शों मे तरमीम कर दिया। जो कि विवादित भूमियों के राजस्व नक्शों की तरमीम साबिक कब्जे काश्त, साबिक राजस्व नक्शों एवं प्रार्थीगण के विधिक हक अधिकारों के विपरित त्रुटिपूर्ण नवीन तरमीम से मौके पर कब्जे को लेकर विवाद होने लगा है। साबिक नक्शानुसार व पूर्वानुसार प्रार्थीगण का अपने खातेदारी के रकबा बरारी सम्पूर्ण क्षेत्रफल अनुसार कब्जा चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण की भूमि के हक मालिकाना खातेदारी व कब्जे काश्त से अप्रार्थीगण का कोई संबंध सरोकार नही है। अतः ग्राम सानकोटडा में स्थित प्रार्थीगण की भूमि साबिक खसरा नम्बर 85/464 रकबा 10 बीघा भूमि के राजस्व नक्शे के मुताबिक ही हाल नवीन खसरा नम्बर 132/645 रकबा 2.53है0 के बरारी रकबा के अनुसार राजस्व नक्शा तरमीम कर पूर्ववत पुनः तरमीम करने के आदेश देकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 129/683 एवं 132/645 के नवीन नक्शे को दुरूस्त कर साबिक नक्शेनुसार एवं पूर्वानुसार दुरूस्तीकरण करने के आदेश दिये जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण को तलबी जरिये रजि0 ए0 डी से करवाये जाने की समग्र सूचना होने के बावजूद भूमि उपस्थित नही हुये। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 1 लगायत 17 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं0 18 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/आर0टी0/2025 /69 दिनांक 17.02.25 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 85/464 रकबा 10 बीघा एवं अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 84/457 रकबा 28 बीघा 1 बिस्वा की राजस्व नक्शे मे तरमीम रही है। जिसके पश्चात सैटलमेंट कार्यवाही में पुराने खसरा नम्बर 85/464 के नवीन खसरा नम्बर 132/645 रकबा 2.5300है0 एवं खसरा नम्बर 84/457 के नवीन खसरा नम्बर 129/683 रकबा 6.8400है0, खसरा नम्बर 697/681 रकबा 0.1900है0 तथा खसरा नम्बर 129/681 रकबा 0.0600है0 कायम किया गया है। लेकिन प्रार्थीगण के नक्शे में त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दिया गया है। जिसका नजरी नक्शा ट्रेस संलग्न है। जिसे पूर्व नक्शे मुताबिक दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र तथा अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते है कि ग्राम सानकोटडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित प्रार्थीगण की भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 132/645 रकबा 2.53है0 के साबिक खसरा नम्बर 85/464 व अप्रार्थीगण की भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 129/683 रकबा 6.8400है0 साबिक खसरा नम्बर 84/457 की रकबा बरारी करते हुये वर्तमान राजस्व नक्शें की तरमीम को साबिक नक्शे अनुसार दुरूस्त कर नवीन नक्शा कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 14.11..2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Scanned with OKEN Scanner